

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2483

31 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

रुग्ण इस्पात संयंत्रों का पुनरुद्धार

2483. श्री तथागत सत्पथी:

श्री बी. श्रीरामुलु:

श्रीमती अंजू बाला:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के प्रचालनशील/लाभ कमाने वाले/हानि में चल रहे/रुग्ण/सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का संयंत्र-वार और विशेषकर कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का देश के रुग्ण/घाटे में चल रहे इस्पात संयंत्रों के पुनरुद्धार/पुनर्शक्तिकरण का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में लघु और मध्यम इस्पात संयंत्रों सहित नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना का विचार है और यदि हां, तो कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन इस्पात संयंत्रों को एक निश्चित समय-सीमा के अंदर चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

श्री विष्णु देव साय

(क): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में कर्नाटक सहित कूड इस्पात का उत्पादन करने वाले लगभग 1189 कार्यशील इस्पात संयंत्र हैं। देश में कर्नाटक सहित कार्यशील इस्पात संयंत्रों की राज्य/संघ-राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर संलग्न हैं। इस्पात मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र में लाभ अर्जित करने वाले/घाटे में चलने वाले/रुग्ण इस्पात संयंत्रों से संबंधित आंकड़ों की देख-रेख नहीं की जाती है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दो इस्पात विनिर्माण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) है। सेल और आरआईएनएल का वित्तीय निष्पादन वर्ष 2015-16 के दौरान क्रमशः (-) 4137 करोड़ रुपये और (-) 1421 करोड़ रुपये है और वर्ष 2016-17 के दौरान क्रमशः (-) 2833 करोड़ रुपये और (-) 1256 करोड़ रुपये (अनंतिम) है। दोनों रुग्ण सीपीएसई नहीं हैं। इस्पात कंपनियों का वित्तीय निष्पादन कच्चे माल की लागत, प्रौद्योगिकी, फिनिश उत्पादों के मूल्यों, उद्योग परिदृश्य, इत्यादि सहित अन्य विषयों के साथ-साथ विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

(ख): सरकार ने विनिर्माण और अवसंरचना पर बल देने के लिए 'मेक-इन-इंडिया' पहल की शुरुआत की, जो देश में इस्पात की मांग और खपत को प्रोत्साहित करता है। सरकार ने दिनांक 08.05.2017 को राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्मित लोहा एवं इस्पात (डीएमआई एंड एसपी) को प्राथमिकता देने की नीति को अधिसूचित किया है। ये नीतियां लोहा और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सुरक्षोपाय शुल्क, एंटी-डंपिंग शुल्क एवं इस्पात तथा इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश), 2012 को अधिसूचित करना, इत्यादि जैसे उपाय किए हैं।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

अनुलग्नक

(लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2483 दिनांक 31.07.2017)

क्रूड इस्पात: वर्ष 2015-16 में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में इकाइयों की संख्या		
सार्वजनिक क्षेत्र		
संयंत्र का नाम	राज्य	इकाइयों की संख्या
अलॉय स्टील प्लांट	पश्चिम बंगाल	1
भिलाई स्टील प्लांट	छत्तीसगढ़	1
बोकारो स्टील प्लांट	झारखंड	1
दूर्गापुर स्टील प्लांट	पश्चिम बंगाल	1
इस्को स्टील प्लांट	पश्चिम बंगाल	1
राउरकेला स्टील प्लांट	ओडिशा	1
सेलम स्टील प्लांट	तमिलनाडु	1
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	कर्नाटक	1
कुल (सेल)		8
आरआईएनएल/विजाग स्टील प्लांट	आंध्र प्रदेश	1
कुल सार्वजनिक क्षेत्र (इकाइयों की संख्या)		9

निजी क्षेत्र

राज्य	इकाइयों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	12
बिहार	42
झारखंड	133
मेघालय	12
ओडिशा	95
त्रिपुरा	1
पश्चिम बंगाल	88
पूर्वी क्षेत्र का योग	384
छत्तीसगढ़	63
दादर व नगर हवेली	21
दमन और दीव	3
गोआ	20
गुजरात	54
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	67
पश्चिमी क्षेत्र का योग	241
चंडीगढ़	2
दिल्ली	2
हरियाणा	15
हिमाचल प्रदेश	21
जम्मू-कश्मीर	8
पंजाब	120
राजस्थान	50
उत्तर प्रदेश	69
उत्तराखंड	21
उत्तरी क्षेत्र का योग	308
आंध्र प्रदेश	29
कर्नाटक	27
केरल	36
पुडुचेरी	17
तमिलनाडु	101
तेलंगाना	37
दक्षिणी क्षेत्र का योग	247
निजी क्षेत्र का योग	1180
सार्वजनिक क्षेत्र का योग	9
सकल योग	1189

स्रोत: जेपीसी